<u>न्यायालय—प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1, बालाघाट (म.प्र.)</u> <u>पीठासीन अधिकारी—रामजी लाल ताम्रकार</u>

<u>व्यवहार वाद कमांक 46ए/2017</u> <u>प्रस्तुति दिनांक-25.03.2017</u>

- 1— प्रेमलाल पिता स्व0 श्री पूरनलाल बोम्बार्डे उम्र 65 वर्ष,
- 2— यादनलाल पिता स्व0 पूरनलाल बोम्बार्डे, उम्र 55 वर्ष,
- 3— दिलीप पिता स्व0 पूरनलाल बोम्बार्ड, उम्र 54 वर्ष,
- 4- डूडेश्वर पिता स्व0 पूरनलाल बोम्बार्डे, उम्र 51 वर्ष,
- 5— धनराज पिता स्व0 हंसराज बोम्बार्डे, उम्र 39 वर्ष, सभी निवासी ग्राम मिरिया, तह0—लांजी, जिला बालाघाट। ———— <u>व</u>

-:: <u>बनाम</u> ::-


- नत्थूलाल पिता स्व० उरकुडिया बोम्बार्ड, उम्र ७० वर्ष,
 निवासी मिरिया, तह०-लांजी, जिला बालाघाट।
- 2— तहसीलदार, तहसील कार्यालय लांजी, तहसील लांजी, जिला बालाघाट।
- 3— मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर बालाघाट, तहसील एवं जिला बालाघाट। ——

प्रतिवादीगण।

वादीगण की ओर से श्री डब्ल्यू०एस०रंगलानी अधिवक्ता। प्रति.क.—1 की ओर से श्री वाय0आर0बिसेन अधिवक्ता। प्रतिवादी क्रमांक—2 व 3 एकपक्षीय।

—::: <u>आदेश</u> :::— (आज दिनांक 26/08/2017 को पारित)

01— इस आदेश द्वारा वादीगण की ओर से प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का निराकरण किया जा रहा है। 02— वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी कमांक—1 आपस में काका भाई हैं जिनकी वंशावली निम्नानुसार है :--



03— वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक—1 के दादा स्व0 गनपत की अन्य भूमियों के अलावा ग्राम मिरिया, पटवारी हल्का नंबर—13, रा.नि.मं. साडरा, तह0—लांजी, जिला बालाघाट में भूमि स्वामी हक की खसरा नंबर 31 रकबा 1.84 एकड़ (0.745 हेक्टेयर), खसरा नंबर 41/1 रकबा 2.45 एकड़ (1.396 हेक्टेयर), खसरा नंबर 42/6 रकबा 0.10 डिसमिल (0.040 हेक्टेयर), खसरा नंबर 45 रकबा 1.45 एकड़ (0.587 हेक्टेयर) कुल 5.84 एकड़ (2.738 हेक्टेयर) भूमि स्थित है। गनपत ने वर्ष 1964—65 में खसरा नंबर—41/1 में से 1.00 एकड़ तथा खसरा नंबर—45 में से 1.45 एकड़ कुल 2.45 एकड़ भूमि जीवन—यापन हेतु अपने पास रखकर शेष भूमि 3.39 एकड़ भूमि का बंटवारा अपने पुत्रों उरकुडिया एवं पूरनलाल के मध्य कर दिया जिसमें उरकुडिया को 1.69 एकड़ एवं पूरनलाल को 1.70 एकड़ भूमि बंटवार में प्राप्त हुई। वर्ष 1972 में उरकुडिया की मृत्यु होने के पश्चात् उसके चारों पुत्रों में से गौतम, गणेश तथा फत्तु ने अपने हिस्से की भूमि 1.69 एकड़ वादीगण को मौखिक रूप से दिनांक 11.4.1974 को बिकी कर उक्त भूमि का कब्जा बादीगण को सौंप दिया तथा गौतम ने अपनी अन्य भूमि खसरा नंबर—41/1 में से 0.38 डिसमिल भूमि भी वादीगण को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा बिकी कर कब्जा व मालिकी सौंप दी थी और गौतम गांव छोड़कर

चला गया था। चूंकि उक्त भूमियों पहले से ही वादीगण के पिता पूरनलाल के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी इस कारण उक्त भूमि पूर्ववत् वादीगण के पिता स्व0 पूरनलाल के नाम पर दर्ज रहीं।

वादीगण ने अपने आवेदन में आगे यह भी उल्लेख किया है कि 04-प्रतिवादी क्रमांक-1 एवं उसके भाईयों द्वारा बंटवारे में प्राप्त भूमि वादीगण को बिकी कर देने से उनका उक्त भूमियों पर कोई हक व हिस्सा नहीं था और इसलिए प्रतिवादी कृमांक-1 उक्त भूमियों में 1/2 हिस्सा पाने का कोई अधिकार नहीं है। स्व0 गनपत ने वर्ष 1964-65 में ही अपनी सम्पूर्ण भूमि का बटवारा अपने दोनों पुत्रों के मध्य कर वादीगण के पिता स्व0 पूरनलाल को 24 एकड़ भूमि तथा प्रति.क.-1 के पिता उरकुडिया को 25 एकड़ भूमि दी गई थी। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य वादग्रस्त भूमि के अलावा अन्य भूमि के संबंध में कोई विवाद नहीं है। गनपत की मृत्यु वर्ष 1974 में होने के बाद उसके हिस्से की कुल 2.45 एकड़ भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 ने आपस में बंटवारा कर लिया जिसमें प्रतिवादी कमांक-1 को खसरा नंबर 41 रकबा 1.00 एकड़ में से 0.50 डिसमिल तथा खसरा नंबर 45 रकबा 1.45 एकड़ में से 72 डिसमिल भूमि कुल 1.22 एकड़ भूमि प्राप्त हुई थी। इस प्रकार दिनांक 11.4.1974 से वादीगण शांतिपूर्वक उक्त भूमि के मालिकी एवं कब्जे में चली आ रही है। जिस पर वादीगण के पिता पूरनलाल की मृत्यु पश्चात् वादीगण का नाम दर्ज चला आ रहा है।


05— वादीगण ने अपने आवेदन में यह भी उल्लेख किया है कि प्रतिवादी कमांक—1 द्वारा उक्त सम्पूर्ण भूमि में अपना बराबर का आधा हक व हिस्सा दर्शाते हुए एक आवेदन पत्र धारा 178 म.प्र.भू रा.संहिता के तहत बंटवारा कराए जाने हेतु तहसील कार्यालय लांजी में पेश किया गया है जिसमें वादीगण द्वारा दिनांक 17.3.2017 को आपित्त प्रस्तुत की गई, परन्तु तहसीलदार लांजी द्वारा उक्त प्रकरण में पक्षकारों के मध्य स्वत्व का प्रश्न उत्पन्न होने के बावजूद भी दिनांक 7.2.2017 को राजस्व निरीक्षक लांजी को एक ज्ञापन जारी कर उक्त भूमियों का वादीगण एवं

प्रतिवादी क्रमांक-1 के मध्य बराबर हिस्से के मान से बंटवारा करने हेतु निर्देशित करते हुए जारी किया गया जिसके अनुसार राजस्व निरीक्षक लांजी द्वारा ज्ञापन दिनांक 7.2.2017 के आधार पर उक्त भूमियों का बराबर हिस्से के मान से फर्द बंटवारा दिनांक 26.2.2017 को तहसीलदार लांजी की न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया जिस पर वादीगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई तब तहसीलदार लांजी द्वारा उक्त आपत्ति के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक-1 के विरूद्ध दिनांक 24.1.2017 को स्थगन आदेश पारित किया गया, परन्तु उक्त फर्द बंटवारा दिनांक 7.2.2017 के अनुसार प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात् उक्त अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 17.1. 2017 को तहसीलदार लांजी द्वारा दिनांक 7.2.2017 को निरस्त कर दिया गया तब वादीगण द्वारा पुनः 17.3.2017 को पुनः लिखित आपत्ति तहसीलदार लांजी के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है, परन्तु तहसीलदार लांजी उक्त फर्द बंटवारा के अनुसार वादग्रस्त भूमि में से 1/2 हक व हिस्सा प्रतिवादी क्रमांक-1 को वादीगण से दिलाए जाने हेतु तत्पर है। जबकि प्रतिवादी कमांक-1 को 1/2 हिस्सा पाने का कोई अधिकार नहीं है। यदि फर्द बंटवारा दिनांक 26.2.2017 के अनुसार वादग्रस्त भूमि में से आधा हिस्सा 3.55 एकड़ भूमि प्रतिवादी क्रमांक-1 को देना पड़ा तो वादीगण को अपरिमित क्षति हो गई 🏡

06— वादीगण ने आवेदन में आगे यह भी उल्लेख किया है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा बिना किसी आधार पर 7.12 एकड़ भूमि अर्थात् 2.845 हेक्टेयर भूमि वादीगण के पिता के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज होना दर्शाते हुए उक्त भूमि का आधा—आधा हिस्सा करते हुए फर्द बंटवारा प्रतिवादी क्रमांक—2 के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो पूर्णतः राजस्व अभिलेखों के विपरीत एवं विधि—विरूद्ध है तथा निरस्त किए जाने योग्य है। वादीगण द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 21.3.2017 को धारा 80 व्य.प्र.सं. के अंतर्गत नोटिस प्रतिवादीगण को प्रेषित किया गया है, परन्तु नोटिस प्राप्त हो जाने के पश्चात् भी प्रतिवादी क्रमांक—2 तहसीलदार लांजी के द्वारा उक्त बंटवारे की कार्यवाही स्थिगत नहीं की गई है। मूल वाद का अंतिम निराकरण होने तक प्रतिवादी क्रमांक—1 एवं 2 को फर्द बंटवारे के आधार पर अवैध

कब्जा करने, दखने देने एवं फर्द बंटवारा के आधार पर वादग्रस्त सम्पत्ति का बंटवारा किए जाने से अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा निषेधित किया जावे।

07— प्रतिवादी क्रमांक—1 ने वादीगण के आवेदन पत्र के मुख्य तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जवाब में यह उल्लेख किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी का वंशवृक्ष निम्नानुसार है :—



08— वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक—1 के मूल पुरूष गनपत के नाम पर वर्ष 1974—75 में भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर क्रमशः 31, 41, 45 कुल रकबा 7.12 हेक्टयर भूमि वादीगण ने संशोधन क्रमांक—98 दिनांक 14.5.98 के मुताबिक अपना नाम दर्ज करा लिया था जिसकी अपील प्रतिवादी क्रमांक—1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी लांजी के न्यायालय में राजस्व अपील क्रमांक—1/3—6/99—2000 नत्थूलाल वि0 प्रेमलाल एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.9.2009 के मुताबिक उक्त संशोधन को अपील में निरस्त कर दिया गया था और मामला तहसीलदार लांजी की ओर भेजा गया था जिसमें उपरोक्त भूमि का बराबर—बराबर बंटवारा किए जाने का आदेश दिया गया था जिसके आधार पर न्यायालय से नोटिस प्राप्त होने पर हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक के द्वारा फर्द बंटवारा तैयार किया गया था। इस

तरह से वादीगण के पूर्वज गनपत का भूमि में 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी क्रमांक—1 का भूमि में 1/2 हिस्सा है। गौतम, फत्तू, गणेश मृत हो चुके हैं। प्रतिवादी क्रमांक—1 के पक्ष में दस्तावेज निष्पादित करके अन्यत्र चले गए थे।

09— जवाब में प्रतिवादी क्रमांक—1 ने ऐसा भी उल्लेख किया है कि वादीगण प्रतिवादी क्रमांक—1 के हिस्से को प्रभावित करना चाहते हैं इसलिए झूठा दावा न्यायालय में पेश किए हैं। प्रतिवादी क्रमांक—1 के भाई गौतम द्वारा दिनांक 11.4.1974 को 1.94 एकड़ भूमि रिजस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय किया था उक्त भूमि वाद पत्र में दर्शित भूमि से अलग है। वादीगण उदण्ड प्रकृति के व्यक्ति है उनके द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में मजिस्ट्रेट न्यायालय बालाघाट में दाण्डिक मामला उनके ऊपर चल रहा है। वादीगण का वाद प्रथम दृष्टिया सबल एवं सारवान नहीं है। सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी वादीगण के पक्ष में नहीं है। अतः आवेदन सव्यय निरस्त किया जावे।

10— <u>अस्थाई निषेधाझा के आवेदन के निराकरण के लिए निम्न</u> <u>प्रश्न विचारणीय हैं कि</u>

- 1— 🕳 क्या वादीगण का वाद प्रथम दृष्टया सबल एवं सारवान है ?
- 2— सुविधा का संतुलन ?
- 3— अपूर्णीय क्षति ?

–ःः सकारण–निष्कर्षःःः-

विचारणीय प्रश्न कमांक 1 का निराकरण : 🚜

11— प्रकरण में वादीगण की ओर से तर्क के दौरान ऐसा बताया गया है कि वादीगण ने न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि के संबंध में स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् दावा पेश किया है। वादीगण का दावा प्रथम दृष्टया सबल एवं सारवान है। सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी वादीगण के पक्ष में है

ऐसी स्थिति में वादीगण की ओर से अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है। समर्थन में न्याय—दृष्टान्त चितरसिंह वि० ग्राम पंचायत मरवई 2001(2) मध्य प्रदेश वीकली नोट 77 एवं न्याय दृष्टान्त नगरपालिका परिषद मलाजखण्ड वि० हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड 2009 (9) एम.पी.एल. जे.222 का प्रस्तुत कर अवलम्ब लिया है कि वादीगण वादग्रस्त भूमि के कब्जे में है तो उनका कब्जा सुरक्षित किया जाना चाहिए।

- 12— प्रतिवादी क्रमांक—1 की ओर से तर्क के दौरान बताया गया है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में जो राजस्व प्रकरण तहसीलदार तहसील लांजी के समक्ष चल रहा था उस मामले को तहसीलदार ने दीवानी न्यायालय के निराकरण तक के लिए रोक दिया है। अन्य बिन्दू पर वादीगण का दावा सारहीन है ऐसी स्थिति में निवेदन किया गया है कि वादीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन निरस्त किया जावे।
- 13— वादीगण के द्वारा इस प्रकम पर अपने आवेदन आदेश 39 नियम 1, 2 सी.पी.सी. के समर्थन में जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए है उनका अवलोकन किया गया। संशोधन पंजी कमांक—98 दिनांक 1.9.1999 जिसका दाखला ग्राम पंचायत मिरिया द्वारा आदेश दिनांक 7.10.99 के मुताबिक स्वीकार किया गया था उसकी छायाप्रति प्रस्तुत की गई है। उक्त आदेश को प्रतिवादी कमांक—1 ने अनुविभागीय अधिकारी लांजी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर चुनौती दी गई थी। राजस्व अपील कमांक—3/अ—15/99—2000 में पारित आदेश दिनांक 29.5.2000 के मुताबिक स्वीकार की गई और नामांतरण खारिज किया गया। इस तरह वादीगण नामांतरण का अवलम्ब नहीं ले सकते। किस्तबंदी वर्ष 1981—82 की नकल प्रस्तुत की गई है जिसमें खसरा नंबर 31, 41/1 एवं 45 कुल रकबा 5.74 एकड़ भूमि पूरनलाल के नाम पर दर्ज होने का उल्लेख है जो कि वादी कमांक—1 से 4 का पिता था। बंटवारा का प्रकरण तहसीलदार लांजी के समक्ष चलने बाबत् राजस्व प्रकरण कमांक 12/अ—27/10—11 की आदेश पत्रिका की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है। फर्द बंटवारा प्रस्तुत करने के लिए ज्ञापन राजस्व निरीक्षक लांजी को जारी करने एवं राजस्व निरीक्षक के

द्वारा फर्द बंटवारा प्रस्तावित करने का प्रतिवेदन दिनांक 26.2.2017 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें वादीगण को खसरा नंबर 31/1, 41/2, 45/1 कुल रकबा 1.423 हेक्टेयर एवं प्रतिवादी को खसरा नंबर कमशः 31/2, 41/1, 45/2 रकबा कुल 1.422 हेक्टेयर बंटवारा में देने के संबंध में फर्द एवं प्रस्तावित नक्शा सूचना पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है।

- 14— पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 11.4.74 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है जिसके माध्यम से वादीगण ने ग्राम मिरिया में भूमि खसरा नंबर 42 में से 0.38 एवं 0.24 तथा खसरा नंबर 32 में से 0.26, खसरा नबर 41 में से 0.38, खसरा नंबर 547 में से 0.48, खसरा नंबर 43 में से 0.20 इस तरह कुल 1.94 एकड़ है। गौतम वल्द उरकुडिया से क्य किया था इस तथ्य को प्रतिवादी क्रमांक—1 ने भी स्वीकार किया है, परन्तु साक्षी का कहना है कि उक्त भूमियाँ वादग्रस्त भूमियों से अलग है, परन्तु फर्द बंटवारा में खसरा नंबर 41 की भूमि का उल्लेख है। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि विक्रय पत्र में वर्णित भूमि में से किसी भूमि का संबंध वादग्रस्त भूमि से नहीं है। वादीगण ने अपने पक्ष समर्थन में साक्षी लक्ष्मण गोवारा, चाहू लिल्हारे, टीकाराम एवं गुलाबराव का अपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख है कि वादीगण ने गौतम से 1.94 एकड़ भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की थी एवं वादग्रस्त भूमि में 1.22 एकड़ पर प्रतिवादी क्रमांक—1 का कब्जा एवं हिस्सा है।
- 15— प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक—1 की ओर से जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं उसमें दाण्डिक प्रकरण क्रमांक—1306/16 में दिलीप कुमार, धनराज, थामेश्वर अर्थात् वादी क्रमांक—3, 4 एवं 5 अभियुक्त हैं। मामला धारा 294, 323, 506 भा.द.वि. का है जो कि चलायमान है, के संबंध में सत्यप्रति प्रस्तुत की गई है। राजस्व प्रकरण क्रमांक—12/3—27/10—11 में तहसीलदार लॉजी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.7. 2017 की नकल प्रस्तुत की गई है जिसके मुताबिक ऐसा उल्लेख किया गया है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में सिवल कोर्ट में मामला लंम्बित है उस मामले में तहसीलदार लॉजी भी पक्षकार है। अतः दावे के अंतिम निराकरण तक प्रकरण की

कार्यवाही को स्थगित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी लांजी के समक्ष राजस्व अपील क्रमांक—26 / अ—63—97—98 में पारित आदेश दिनांक 23.11.99 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है जिसके मुताबिक नायब तहसीलदार लांजी के द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 02/अ-6अ/97-98 में पारित आदेश दिनांक 14.7.98 के आदेश की पुष्टि की गई है जिसके मुताबिक वर्तमान का कब्जा दर्ज करने का आदेश उचित मान्य किया गया है। प्रतिवादीगण के खाते की एवं सम्मिलित में वादीगण के नाम की भू अधिकारी ऋण पुरितका की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें 7.12 एकड़ भूमि उभय पक्षकारों के नाम पर दर्ज होने का उल्लेख है। प्रतिवादीगण ने अपने पक्ष समर्थन में शपथकर्ता परसराम उईके एवं गोपीचंद का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें 7.12 एकड़ भूमि में से आधे हिस्से का वादीगण को एवं आधे हिस्से को प्रतिवादी नत्थुलाल को हिस्सेदार होना बताया गया है।

इस स्तर पर पक्षकारों के बीच उत्पन्न हुए स्वत्व एवं आधिपत्य संबंधी 16-विवाद का निराकरण कर पाना संभव नहीं है। जहाँ वादीगण वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्से से अधिक हिस्सा होना बता रहे हैं वहीं प्रतिवादी क्रमांक-1 वादग्रस्त भूमि में अपना 1/2 हिस्सा होना बता रहा है। वादीगण के पास पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 11.4.74 है जिसके मुताबिक उन्होंने गौतम महार से 1.94 एकड़ भूमि क्य की। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि का संयुक्त नाम होने के फलस्वरूप 1/2 – 1/2 हिस्से के मुताबिक तहसीलदार न्यायालय से बंटवारा कर दिया जाता है तो पक्षकारों के बीच विवाद बना रहेगा क्योंकि पक्षकारों के बीच वादग्रस्त भूमि को लेकर इस न्यायालय में दीवानी वाद लम्बित है ऐसी स्थिति में तहसीलदार लांजी के न्यायालय में चल रहे बंटवारा प्रकरण 12/अ–27/2010–11 की कार्यवाही से पक्षकारों को विरत रहने के लिए आदेशित करना न्यायोचित प्रतीत होता है, परन्तु सम्मिलित खाता होने से केवल वादी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश प्रभावी नहीं किया जा सकता। HIHEN HEROTE EL

17— उपरोक्त विवेचन उपरांत विचारणीय प्रश्न क्रमांक—1 के परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष दिया जाता है कि जहाँ वादीगण का बाद प्रथम दृष्टया सबल एवं सारवान है वहीं प्रतिवादी क्रमांक—1 का बचाव भी सारवान होना पाया जाता है।

विचारणीय प्रश्न कमांक-2 एवं 3 का निराकरण :-

- 18— जहाँ तक सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षिति का प्रश्न है तो यहाँ यह उल्लेख कर देना उचित होगा कि वादग्रस्त भूमि 7.12 एकड़ सम्मिलित खाते की भूमि है। अगर उस भूमि के किसी विशिष्ट हिस्से में जाने से किसी पक्ष को रोका जाता है तो पक्षकारों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ अपूर्णीय क्षिति की स्थिति भी उत्पन्न होगी। इसके विपरीत केवल बंटवारा प्रकरण से विरत रहने के लिए उभय पक्षकारों को आदेशित करने से किसी भी पक्ष को न तो असुविधा होगी न ही अपूर्णीय क्षिति होगी। इस तरह से सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षिति का बिन्दू भी उभय पक्ष के मध्य में है।
- 19— उपरोक्त विवेचन उपरांत पाया गया कि वादीगण का वाद प्रथम दृष्टया सबल और सारवान है। साथ ही प्रतिवादी का बचाव भी सारवान है। सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षिति का बिन्दू उभय पक्ष के मध्य है। ऐसी स्थिति में बादीगण की ओर से प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. का आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार आदेश प्रकरण के निराकरण तक या अग्रिम आदेशपर्यन्त तक के लिए प्रभावी किया जाता है :—
 - (1)— उभय पक्षकार स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से राजस्व प्रकरण क्रमांक—12/3—27/2010—11 जिसके माध्यम से ग्राम मिरिया, पटवारी हल्का नंबर—16, रा.नि.मण्डल साडरा, तहसील लांजी, जिला बालाघाट में स्थित भूमि खसरा नंबर क्रमशः 31, 41, 45 कुल रकबा 7.12 एकड़ के संबंध में चल रही बंटवारा कार्यवाही से अपने आपको विरत रखे।

(2)— इस आदेश का प्रभाव प्रकरण में गुण—दोष के आधार पर पारित होने वाले निर्णय पर नहीं होगा।

ARRIVATION TO STATE OF THE STAT

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

सही—
(रामजी लाल ताम्रकार) (रामजी : प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1, प्रथम व्यवहार बालाघोट (म.प्र.) बाला


मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही— (रामजी लाल ताम्रकार) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 बालाघाट (म.प्र.)

DECREE IN ORIGINAL SUIT
(Code Civil Procedure Code, 1908, Order XX, Rules 6 and 7)

व्यवहार वाद प्रकरण क	. 0 ए OF 2012
THE COURT रामजी लाल ताम्रकार प्रथम व्यव	हार न्यायाधीश वर्ग—1, बालाघाट (म0प्र0)
& falls	
श्री बनाम	ु <u>वादी</u> ।
Alle arity	——— प्रतिवादीगण।
	435
Claim for - संविदा के विशिष्ट पालन	हेत् ।
This suit coming on this day for final c	
(for the plaintiff) Shri श्री — अधिवव	तो । तो ।
(for the defendant)Shri श्री — अधिवव	
ST CE	
It is ordered and decreed that	
Tild	
760	(III)
THE SINGE	Ser.
No.	A ES
AL ST	हस्ता0—
Telle .	(रामजी लाल ताम्रकार) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश
वर्ग—1	ज्यापा ज्यापा जापा जारा
	बालाघाट(म०प्र०)
	Miles
कृ.पृ.च.	
~ ZES	
TO PE	
कृ.पृ.च.	
Mark.	

Steno-D.K.Bisen



COSTS OF SUITS

	Piaintiff	Amount	Defendant	Amount
1.	Stamp for plaint	15,600	Stamp for Power	40
2.	Stamp for application & affidavit	30	Stamp for exhibits	30
3.	Stamp for powers	10	Stamp for petitions	<u></u>
4.	Stamp for exhibits		Pleader,s fees प्रमाण पत्र पेश / पेश नहीं।	
5.	Pleader's fee on Rs. प्रमाणपत्र पेश / पेश नहीं स्वीकृत।	3,850	Subsistence for witness	
6.	Subsistence for witness		Service of process	
7.	Commissioner,s fee		commissioner,s	
8.	Service of process	25	No.	
	83	12/12		
	Total:-	19,515	Total :-	70
(ক	0 सिर्फ)	(रूपये सिर्फ)		

हस्ता०-

(रामजी लाल ताम्रकार) Agen Hariage H

वर्ग—1 (म0प्र0)